32- एक व्यक्तिगत निर्देश (Private Reference) के मामले में मध्यस्थता करार

एक करार क ख जिसे (आगे ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और जो करार का प्रथम पक्षकार है तथा ग घ आदि (जिसे आगे ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) और जो करार का द्वितीय पक्षकार है तथा छ ज आदि (जिसे आगे ''तृतीय पक्षकार'' कहा गया है) और जो करार का तीसरा पक्षकार है; चूंकि ङ च की, जो उक्त क ख और ग घ के पिता थे, निर्वसीयत मृत्यु हुई (died intestate) और जो प्रथम पक्षकार के हाथों में स्थावर सम्पत्ति छोड़ गये, प्रथम पक्षकार उक्त ङ च की मृत्यु के समय उसके साथ रहता था; और चूँकि पक्षकारों की मॉ छ ज अब भी ग घ के साथ रहती है और सदैव से रहती थी और छ ज के कब्जे में परिवार के अधिकतर जवाहिरात (jewellery) हैं, जिसकी सूची संलग्न है और उस सूची को सूची 'क' कहा गया है और उन जवाहिरातों में उक्त छ ज के स्त्रीधन के जवाहिरातों के अतिरिक्त ऐसे जवाहिरात भी हैं जिन्हें ङ च की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच बराबर भागों में बॅट जाना था; और चूँकि ग घ ने स्थावर सम्पत्ति की ऐसी सूची (जिसे सूची ''ख'' कहा गया है), जो उसके कब्जे, अभिरक्षा (Custody) और नियंत्रण (Control) में है और जिन्हें ङ च की मृत्यु के बाद पक्षकारों के बीच बराबर भागों में बॅट जाना था; और चूँकि उक्त पक्षकारों ने उपर्युक्त संलग्न सूचियों के सही होने ओर उसकी सत्यता को स्वीकार कर लिया है; अतएव अब यह करार साक्ष्य स्वरूप निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया गया–

(1) यह कि इस करार में उल्लिखित पक्षकार सूची 'क' (छ ज द्वारा दी गयी जवाहिरातों की सूची), सूची 'ख' (ग घ द्वारा दी गयी सम्पत्ति की सूची) और सूची 'ग' (मृतक ङ च के द्वारा छोड़ी गयी सभी स्थावर सम्पत्ति की सूची) को बराबर भागों में बॉटने के लिए .....के निवासी ट ठ की एकमात्र मध्यस्थता के लिए सौंप देते हैं और यह घोषित करते हैं कि उक्त ट ठ इस करार में उल्लिखित दिनांक से तीन मास के भीतर अपना पंचाट देगा, जिसमें इस बात का निश्चित रूप से उल्लेख करेगा कि कौन–कौन सी वस्तुऍ, जवाहिरात तथा सम्पत्ति आगे चलकर क ख तथा ग घ की होंगी।

(2) यह कि पक्षकारों के बीच उपर्युक्त मामलों में निर्णय के अतिरिक्त उक्त ट ठ, इस प्रश्न पर भी निर्णय करेगा कि क ख तथा ग घ द्वारा छ ज को उसके जीवनकाल में कितने समुचित धनराशि की भरण–पोषण के रूप में अदायगी की जायेगी। छ ज को की जाने वाली भरण–पोषण सम्बन्धी अदायगी नकदी धनराशि में प्रतिमास की जायेगी और वह उक्त पक्षकारों द्वारा बराबर भागों में होगी तथा इसके अतिरिक्त छ ज को मकानों में से किसी एक अथवा ङ च द्वारा छोड़े गये मकान के निर्दिष्ट भाग में रहने का अधिकार भी सम्मिलित होगा। उक्त छ ज के भरण–पोषण का अधिकार उक्त ङ च द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति में छ ज द्वारा कोई दावा न किये जाने के प्रतिफल स्वरूप होगा और छ ज एतद्द्वारा अपने भाग के दावे को छोड़ती हैं और अवत्यजन (relinquishes) करती हैं।

(3) यह कि ट ठ द्वारा उपर्युक्त अवधि या पक्षकारों की लिखित सहमति से आगे बढ़ायी गयी अवधि के भीतर दिया गया और उसके द्वारा हस्ताक्षरित पंचाट पक्षकारों, उनके दायद, उत्तरजीवियों और प्रतिनिधियों पर पूर्ण रूप से बाध्य होगा।

(4) यह कि ट ठ को तीनों सूचियों में दी हुई सम्पत्ति के बॅटवारे के प्रश्न तथा छ ज को भरण–पोषण आदि दिये जाने के प्रश्न पर निर्णय देने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के सभी अधिकार प्राप्त होंगे और मध्यस्थता की सभी कार्यवाहियॉ मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के मध्यस्थता सम्बन्धी उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(5) यह कि निर्देश तथा पंचाट के सभी खर्चों के विषय में निर्णय उक्त मध्यस्थ स्वविवेकानुसार (discretion) देगा और वह पंचाट में इस विषय को भी निर्दिष्ट (specify) करेगा कि उन प्रथम दो पक्षकारों में से कौन सा पक्षकार उनकी अदायगी तथा वहन करेगा।इस करार के साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने आगे ऊपर प्रथम उल्लिखित वर्ष तथा दिन को.....पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षी–1 (हस्ताक्षरित) क ख

साक्षी–2 (हस्ताक्षरित) ग घ

(हस्ताक्षरित) छ ज